न्यायालय उपजिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

(12)

वाद संख्या–75 / 2011
दिनांक रज्जू– 20.07.2011

पीठासीन अधिकारी
गोपाल जॉगिड (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी ,लालसोट

1. पन्नालाल पुत्र ग्यारसीलाल
2. रामकिशोर पुत्र कल्याण प्रसाद
3. मु0 कान्ति देवी बेवा केदार प्रसाद
4. विष्णु पुत्र केदार प्रसाद
5. कृष्ण जरिये माता कान्ति देवी

समस्त जाति–हरियाणा ब्राहम्ण, नि0–डिडवाना पीथावतो की उपरवाली ढाणी, तह0–लालसोट जिला–दौसा

– वादीगण

बनाम

1. राजेश पुत्र रामराय–
2. महेश पुत्र रामराय–
3. मु0 चांवली बेवा रामराय –समस्त जाति हरि. ब्राहम्ण, नि0–डिडवाना पीथावतो की उपरवाली ढाणी तह लालसोट जिला– दौसा
4. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील लालसोट
5. उप पंजीयक लालसोट कार्यालय तह0 लालसोट
6. यूको बैंक शाखा डिडवाना, तह0 लालसोट

–प्रतिवादीगण

निर्णय– दिनांक– 19 03.2021

वाद उद्घोषणा भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अ0धा0 88, 89, 53, 188 रा0का0अधि0

उप0 श्री बृजमोहन गौड एडवोकेट वादीगण
उप0 श्री कमलेश कुमार सैनी एडवोकेट प्रतिवादीगण

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी पन्ना वगैरह ने एक वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी राजेश वगैरह अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया

उपखण्ड अधिकारी

है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 सी0पी0सी0 151 पेश किया जाकर वाद पत्र खारिज करने का अनुतोष चाहा गया है। (13)

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 सैनी ने निम्न आधार व न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर वाद पत्र खारिज करने का अनुतोष चाहा गया है।

- वाद पत्र(संशोधित) में पंजीकृत वसीयत पत्र दिनांक–01.03.1986 को अवैध व प्रभावशून्य घोषित करवाने का अनुतोष मुख्य अनुतोष के रूप में चाहा है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इस बाबत् न्यायिक Raj HC दृष्टांत– झमुक व अन्य बनाम देवीलाल निर्णय दिनांक–09.08.2018 प्रस्तुत किया।
- रजिस्टर्ड वसीयत के अस्तित्व में रहने तक विरासत का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता। न्यायिक दृष्टांत राजस्व बोर्ड अजमेर प्रेमकुमार व अन्य बनाम श्यामलाल व अन्य निर्णय दिनांक– 03.12.2019।
- प्रश्नगत वसीयत व पैतृक सम्पत्ति होने सम्बन्धी बिन्दु पक्षकारान के मध्य पूर्व में माननीय सिविल न्यायालय लालसोट में तय हो चुका है। जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है न्यायिक प्रकिया में अभीस्वीकृती कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाणित किये जाने के मोहताज नहीं है। तथा किसी पक्षकार द्वारा न्यायिक प्रकिया के दौरान स्वीकारोक्ति सर्वोतम साक्ष्य मानी जाती है। तथा न्यायिक निर्णय को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। न्यायिक दृष्टांत– हैदराबाद HC तमीलनाडू मसैटाइल बैंक वगै बनाम सुनीता उधोग निर्णय 12.06.204, दिल्ली HC आशा गुप्ता बनाम महेन्द्र कुमार निर्णय दिनांक 10.03.2016 एवं पंजाब हरियाणा बबिता बनाम बाला देवी निर्णय दिनांक– 25.01.2016।
- 34 वर्ष के वाद पंजीकृत दस्तावेज को अवैध घोषित करवाना परिसीमा अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं है। कोई भी वाद जो विधि द्वारा बाधित हो उसे खारिज किया जाना चाहिए विधि में परिसीमा भी शामिल है।

  दृष्टांत– ईलाहाबाद HC अजीजुदीन बनाम लक्ष्मी देवी व अन्य निर्णय दिनाक– 29. 04.2014
- साथ ही अधिवक्ता प्रतिवादी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थना पत्र का निर्णय किये बिना वाद में आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती। न्यायिक दृष्टांत– Raj HC अनंतपाल बनाम सुमेरसिंह निर्णय दिनांक– 22.12.2016।

प्रत्युत्तर में वकील वादी श्री उमेश गौड ने निम्न आधारो पर प्रार्थना पत्र sec 9 cpc 151 को निरस्त किये जाने का अभिकथन किया–

1. अभिलेख को अवैध व प्रभावशून्य घोषित करवाना व निरस्त करवाना अलग–2 प्रकिया है एवं इस न्यायालय को अभिलेख को अवैध व प्रभावशून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार है।
2. क्षेत्राधिकार के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता। पूर्व में क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर प्रार्थना पत्र 7R11 खारिज किया जा चुका है। अतः पुनः प्रश्न को उठाया जाना अनुचित व अवैध है। न्यायिक दृष्टांत–Raj HC देवभाई बनाम अति0 सिविल जज निर्णय दिनांक– 10.02.2012।
3. साथ ही वकील वादी ने दौराने बहस कथन किया कि अभिलेख को प्रभावशून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। दृष्टांत –Raj HC हस्ती सीमेंट बनाम संदीप चारण निर्णय दिनांक–07.03.2018।

4. वकील वादी ने दौराने बहस कथन किया कि वसीयत की वैधता का निर्धारण नामान्तकरण प्रकिया के दौरान नहीं किया जा सकता और नामान्तकरण से हक अधिकार निर्धारित नहीं होते। न्यायिक दृष्टांत– राजस्व बोर्ड भूरा बनाम मोहन निर्णय दिनांक– 15.05.2017।

दोनो उभयपक्षकारान की बहस सुनने के बाद इस न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है कि इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल विक्रय पत्र को अवैध प्रभावशून्य घोषित करने तक ही सीमित है गोदनामा व वसीयतनामा को अवैध व प्रभावशून्य घोषित करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत sale deed से सम्बन्धित है न कि वसीयतनामे से। वकील वादी द्वारा कथन किया गया है क्षेत्राधिकार में बिंदु पर प्रार्थना पत्र पूर्व में 7/11 के तहत निर्णय कर प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है परन्तु प्रार्थना पत्र 7R11 में क्षेत्राधिकार का बिंदू तय नहीं होता अतः प्रार्थना पत्र Sec 9 CPC 151 पोषणीय है प्रश्नगत प्रमाण में Res judicata लागू नहीं होता। माननीय सिविल न्यायालय लालसोट के निर्णय दिनांक– 27.08.2018 में हवाला दिया गया है प्रतिवादी द्वारा प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेजात 10 ए अवलोकन करे तो रामचंद्र द्वारा अपने सामने चल और अचल सम्पत्ति की वसीयत उपपंजियक अधिकारी लालसोट के समक्ष 1986 में किया जाना स्पष्टतः प्रमाणित है वादीगण द्वारा उक्त वसीयत के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः न्यायिक निर्णय में उल्लेखित तथ्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति वाद पत्र अ0धा0 9 व 151 सी0पी0सी0 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०